राजस्थान में पंचायती राज की नवीन प्रवृतियाँ

*डॉ. मुकेश कुमार शर्मा

भारत एक लोकतंत्रीय देश है। लोकतंत्रीय देश होने के कारण विश्व में अपना एक निश्चित स्थान रखता है। लोकतंत्रीय देश में शासन की सत्ता उन चुनिंदा व्यक्तियों के पास में होती है जो जनता के द्वारा निर्वाचित होकर स्वयं शासन का संचालन करते हैं।

भारतीय संविधान में भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया है। इस 'लक्ष्य' को प्राप्त करने के लिए सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया गया है। इसमें पंचायती राज की अहम् भूमिका है।

संघ स्तर पर केन्द्र सरकार अपना शासन का संचालन करती है। राज्यों में भी राज्य स्तर का शासन संचालन होता है राज्य सरकारों द्वारा एवं स्थानीय स्तर पर भी शासन का संचालन किया गया है ग्रामीण एवं नगरीय स्तर पर।

वह ग्रामीण शासन जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की कल्पना से ग्रामस्वराज का मूर्तरूप हमें पंचायती राज संस्थाओं से परिलक्षित होता है। 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर शहर में अंकुरित पंचायती राज का पौधा पल्लवित एवं पुष्पित होते हुए सन् 1992 में संविधान में स्थान पाकर वट वृक्ष बन गया। तब से अब तक की यात्रा में कई उतार–चढ़ाव देखने वाला पंचायती राज अब उत्कर्ष के सर्वोच्च शिखर पर है।

सन् 1994 के राज. पंचायती राज अधिनियम में जिन आदर्शों की स्थापना की गयी वे पूज्य बापू के सुनहरे सपनों का साकार रूप है। इसमें न केवल समाज के कमजोर वर्गों व महिलाओं की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित की गयी अपितु पंचायती राज संस्थाओं को विपुल शक्तियाँ एवं आर्थिक स्वायत्ता प्रदान कर इन्हें सत्ता के विकेन्द्रीकरण का वास्तविक स्वरूप भी प्रदान किया गया।

पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास सर्व प्रथम सन् 1989 में देश के तात्कालिन प्रधानमंत्री (स्व.) श्री राजीव गाँधी ने किया। उन्होंने 64वां संविधान संशोधन विधेयक तैयार कर पारित करने के प्रयास भी किये लेकिन वह पारित नहीं हो पाया। अंत्तः 1992 में तात्कालिन प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव के नेतृत्व में केन्द्रीय सरकार द्वारा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित हुआ।

इसके अन्तर्गत देश के संविधान में 9वां अध्याय और जोड़ा गया जो भारतीय संविधान की धारा 243 से निर्देशित होता है। जब से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया तब से ही इसने अपना संवैधानिक रूप ले लिया और सभी प्रान्तों ने इसे स्वीकारा।

राजस्थान प्रान्त में भी राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 व राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1959 को उपयुक्त अधिनियम पंचायती राज व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए 22 अप्रेल, 1994 तक प्रभावी रहे। आगे जाकर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम बन गया।

उपर्युक्त नियम के प्रभावी होने के साथ कुछ निम्न परिवर्तन हुएः–

1. पंचायती राज व्यवस्था में पूर्व की भाँति त्रिस्तरीय व्यवस्थाः ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद।
2. पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाना।
3. हर 5 वर्ष में चुनाव सुनिश्चित कराना, यदि किन्हीं कारणवश कोई स्थान रिक्त हो जाता है तो रिक्त होने के समय से 6 माह के अन्तराल में चुनाव कराना।
   (अ) यदि जिस वर्ग से जो स्थान रिक्त हुआ है। उसी वर्ग का ही चुनाव करवाना।
   (ब) यदि पंचायत राज में प्रधान/प्रमुख का पद किन्हीं कारणवश/ अविश्वास या कारण से पद रिक्त हो जाता है तो पूर्व में उपप्रधान को प्रधान, उप प्रमुख को प्रमुख बना दिया जाता लेकिन नये पंचायती राज संशोधान के तहत जिस वर्ग से पदाधिकारी है। उसी वर्ग में राज्य सरकार का पंचायती राज विभाग उस सदस्य को पदाधिकारी के रूप में 6 माह तक नामांकित करेगा तब तक वह पद पर बना रहेगा तब तक निर्वाचन न हो जाये।
4. आरक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से निर्धारित होना जिसमें अनु. जाति, अनु. जनजाति को राज्य सरकार के नियमानुसार एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को 21 प्रतिशत आरक्षण के साथ महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण की विशेष व्यवस्था की गयी।
5. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 (ठ) के प्रावधानों के अनुसार दो से अधिक संतानों वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता।
6. नये राज्य वित्त आयोग का गठन।
7. दलीय आधार पर निर्वाचन।

संविधान की 11वी अनुसूची में 29 विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को दिये गये हैः–

*प्राध्यापक (लोक प्रशासन विभाग) एस.एस. जैन सुबोध पी.जी. कॉलेज, जयपुर

- कृषि, कृषि सम्बन्धी विस्तार सहित भूमि सुधार भूमि सुधार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन चकबन्दी और भूमि संरक्षण
- लघु सिंचाई जल प्रबन्ध वाटर शैड डेवलपमेंट
- पशुपालन दुग्ध व्यवसाय और मुर्गी पालन मत्स्य पालन
- सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी
- लघु वन उत्पाद
- लघु उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सहित
- खादी ग्राम कुटीर उद्योग
- ग्रामीण विकास
- पेयजल
- ईधन और चारा
- सड़क पुलिया सेतु नावें जल मार्ग और संचार के अन्य साधन
- ग्रामीण विद्युत्तीकरण विद्युत वितरण
- अपारम्परिक उर्जा स्त्रोत
- निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम
- शिक्षा तथा प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय
- तकनीकि प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा
- वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा
- पुस्तकालय
- सांस्कृतिक आयोजन
- मेंले, बाजार
- स्वास्थ्य और साफ सफाई अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य और औषधालय
- परिवार कल्याण
- महिला और बाल विकास
- समाज कल्याण–विकलांगों और मानसिक रूप से विकलांगों के लिए
- कमजोर वर्ग, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कल्याण
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली
- सामुदायिक परिसंपत्तियों का रख–रखाव

उपर्युक्त विषय संविधान संसोधन के पश्चात् पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान किये गये हैं ताकि इन संस्थाओं का विकास तीव्रगामी से हो सकें।

सन्दर्भ

1. रूपा मंगलानीः भारत में पंचायतीराज राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर।
2. प्रो. आर.पी. जोशी, रूपा मंगलानी–भारत में पंचायती राज, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर
3. राजस्थान विकास मार्च, अप्रेल, 1999
4. डॉ. बसन्ती लाल बावेल, राजस्थान पंचायतीराज कानून, बाफना पब्लिकेशन्स (प्रा.लि.) जयपुर।
5. एम लक्ष्मीकान्त–लोक प्रशासन, टाटा मेंग्रोहिल पब्लिकेशन्स कम्पनी लि. नई दिल्ली।